(84)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 31–पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–9–2014 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी हातोद जिला इंदौर प्रकरण कमांक 7/अ–2/2013–14.

.....

1–मनीष पिता श्री रामबाबू अग्रवाल
2–सुमित पिता श्री श्यामबाबू अग्रवाल
दोनों निवासी 19/1 स्नेह नगर मेनरोड,
इंदौर
3–श्रीमती राधा पति श्री सतीश गुप्ता
4–श्री अंकुर पिता श्री सतीश गुप्ता
दोनों निवासी 11–ए, जानकी नगर एनेक्स,
इंदौर
5–श्रीमती सुषमा पति श्री रश्मिकांत पटेल
6–श्रीमती रेशमा पति श्री सुनील पटेल
दोनों निवासी 6 बीएफ स्कीम नम्बर 78
इंदौर

..... आवेदकगण

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (हातोद)
तहसील हातोद जिला इंदौर

..... अनावेदक

.....

श्री के0के0द्विवेदी, अभिभाषक–आवेदकगण

श्री आर0पी0पालीवाल, अभिभाषक–अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 10/10/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी हातोद जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–9–2014 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि आवेदकगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि सर्वे नम्बर 403/1 रकबा 1.291 हेक्टेयर लगान 8.57 पैसे की ग्राम बुढानिया तहसील हातोद जिला इंदौर में स्थित है । आवेदकगण की उपरोक्त भूमि इंदौर विकास योजना 2021 में दर्शाये अनुसार आवेदकगण की उक्त भूमि का उपयोग आवासीय है । आवेदकगण की उक्त भूमि निवेश क्षेत्र में होने से तथा इसका उपयोग आवासीय होने के कारण आवेदकगण उक्त भूमि का व्यपवर्तन आवासीय प्रयोजन हेतु करना चाहते हैं व उस दृष्टि से आवेदकगणों ने इस आशय की लिखित जानकारी अनुविभागीय अधिकारी को दिनांक 2–12–13 को प्रेषित की तथा अनुविभागीय अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में देय प्रीमियम एवं परिवर्तित भू–राजस्व की रकम निर्धारित कर आवेदकगण को सूचित किये जाने का निवेदन किया गया । आवेदकगण की भूमि के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विभिन्न विभागों से जानकारी तथा अनापत्ति प्राप्त करने के पश्चात् आवेदकगण की उक्त भूमि पर देय प्रीमियम रुपये 1,93,650/– एवं व्यपवर्तित भू–राजस्व का निर्धारण रुपये 38,730/– एवं पंचायत उपकर रुपये 19,365/– तथा शर्ते लागू कर प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 30–9–14 पारित कर सूचना आवेदकगण को दी गई। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण के द्वारा उसके स्वामित्व की भूमि का निर्धारण भूमि उपयोग इंदौर विकास योजना 2021 में आवासीय होने के आधार पर व उसका आवासीय प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन करना चाहता है तथा उसके आधार पर केवल मात्र देय प्रीमियम एवं डायवर्सन टैक्स की देय राशि बावत् सूचना दिये जाने संबंधी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर जो शर्ते आवेदक की भूमि के संबंध में निर्धारित की है व अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है । तर्क में यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा संहिता की धारा 172 के प्रावधानों को अनदेखा कर उसके विपरीत आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है । यह भी कहा गया कि भूमि को व्यपवर्तित होना

मानकर उस पर परिवर्तित भू–राजस्व का पुनः निर्धारण करने के उपरांत प्रश्नाधीन भूमि भू–अर्जन की कार्यवाही के तहत कृषि भूमि मानी जायेगी, यह आदेश करने का अधिकार धारा 172 के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी को नहीं था इस कारण अनुविभागीय अधिकारी का आदेश अधिकार बाह्य होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनके द्वारा निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश संहिता के प्रावधानों के अनुसार होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अंतिम प्रकृति का आदेश पारित किया है, जिसकी आवेदकपक्ष को अपील करना चाहिये थी । अतः अपीलाधीन आदेश को निगरानी में हस्तक्षेप करने का पर्याप्त आधार नहीं है । दर्शित परिस्थितियों में अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी हातोद जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–9–2014 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर